सतर्कता के सुझावों के अनुसार सिस्टम में सुधार लागू किया गया

- **आचरण नियमावली**
  - पोर्टल में बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालक और गैर-कार्यपालक द्वारा वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) ऑनलाइन दाखिल करना।
  - कर्मचारियों से एपीआर प्राप्त करने/संरक्षित करने के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है और कर्मचारियों से एपीआर प्राप्त करने/दाखिल करने के लिए सीडीए नियमों में समय-सीमा प्रदान की गई है।
  - अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों की अनुसूची की समीक्षा की गई।

- **भर्ती नियम और मानव संसाधन(एचआर)**
  - एमएसटीसी के भर्ती नियम के नियम 7.8 में संशोधन।
  - वस्तुनिष्ठ तत्वों के लिए अधिक वेटेज, समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के अनुपात की रिकॉर्डिंग, कट-ऑफ अंकों में वृद्धि और लिखित परीक्षा, जीडी और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के संबंध में सुझाव, पहले चरण में प्राप्त अंक साक्षात्कार बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, इसे लागू कर दिया गया है।
  - प्रवेश स्तर पर आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति, प्रबंधन प्रशिक्षु की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है और उम्मीदवारों के लिए सिस्टम द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जा रहा है।
  - प्रवेश स्तर पर गैर-कार्यपालक पद के लिए चयन का तरीका उस पद पर कौशल परीक्षण के लिए मात्रा निर्धारित और शॉर्टलिस्टिंग अनुपात जहां नियमों में लिखित परीक्षा दर्ज की गई है।
  - कर्मचारियों द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन की ऑनलाइन प्रस्तुति, एपीएआर का ऑनलाइन खुलासा और मूल्यांकन रेटिंग के खिलाफ अभ्यावेदन/अपील की ऑनलाइन प्राप्ति।

- **एसओपी, मैनुअल आदि का सरलीकरण और मानकीकरण**
  - एमएसटीसी की व्हिसलब्लोअर नीति का इसके प्रभावों और कंपनी अधिनियम-2013, कंपनी नियम-2014, लागू सेबी विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप अध्ययन किया गया है और इसमें संशोधन किया गया है।
  - जनशक्ति नियोजन नीति, प्रशिक्षण और योग्यता विकास नीति, उत्तराधिकार और कैरियर नीति, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर नीति, रोटेशन नीति को एएसआरएम-2021 के मिनटों में सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिंदु के आधार पर संशोधित किया गया था।
  - कार्यपालकों के लिए पदोन्नति नीति संशोधित।
  - कार्यपालकों के बीच ईमानदारी और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा के लिए कंपनी की योजना में डीओपीटी दिशानिर्देश के अनुच्छेद 6 और 7 में बताए गए नए प्रावधान को शामिल करना।
  - डीपीसी/पदोन्नति के दौरान कार्यपालकों (बोर्ड स्तर से नीचे) और गैर-कार्यपालकों के लिए सतर्कता संशोधन//स्थिति के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
  - खरीद और सेवा अनुबंध मैनुअल अपनाया गया, बिक्री एजेंसी मैनुअल की समीक्षा की गई।
  - पोर्टल पर ठेकेदारों के लंबित बिलों की स्थिति/प्रदर्शन के उद्देश्य से बिल ट्रैकिंग सिस्टम कार्यान्वित किया गया।

- **आईटी और स्वचालन का लाभ उठाना**
  - ऑनलाइन माध्यम से सतर्कता मंजूरी/स्थिति की प्रक्रिया और जारी करना।
  - इन-हाउस सिस्टम पैकेज में यह प्रावधान पेश किया गया है कि तीन महीने की अवधि के बाद, सिस्टम पासवर्ड के अनधिकृत दुरुपयोग से बचाव के लिए पासवर्ड बदलने के लिए संकेत देगा।
  - तकनीकी-वाणिज्यिक और मूल्य बोलियाँ ऑनलाइन खोली जाती हैं और डीएससी के साथ विधिवत हस्ताक्षरित बोलीदाताओं से प्राप्त की जाती हैं। निविदा शुल्क और बोली गारंटी/ईएमडी ई-भुगतान के माध्यम से प्राप्त की जा रही है।

- अपरिचित गतिविधि होने पर बोलीदाताओं/विक्रेताओं के लॉगिन के सुरक्षा पहलुओं के संबंध में ई-नीलामी मॉड्यूल में सुधार का सुझाव दिया गया है और लॉगिन एवं पासवर्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

- **सार्वजनिक खरीद, स्टोर, ई-कॉमर्स, खरीद में पारदर्शिता पहल**
  - अस्पष्टता से बचने के लिए निविदा/बोली दस्तावेज़ में मूल्य का मूल्यांकन मानदंड को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए प्रबंधन द्वारा निर्देश जारी किए गए।
  - प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां भी आवश्यक हो, खरीद/कार्य आदेश/अनुबंध को कानूनी कागज के माध्यम से निष्पादित किया जाए, ताकि कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।
  - दिशानिर्देश जारी किए गए है कि वाहनों को किराये पर लेने के लिए सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से जीइएम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
  - वैश्विक प्री-बिड ईएमडी की शुरूआत के परिणामस्वरूप ई-नीलामी प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी एवं बोलीदाताओं को बोली लगाने के लिए किसी भी वांछित लॉट या ई-नीलामी का चयन करने की सुविधा मिली और ऑनलाइन भुगतान द्वारा ईएमडी को टॉप अप करने या ऑनलाइन रिफंड अनुरोध करके रिफंड लेने की सुविधा भी उपलब्ध हैं।
  - प्रदान/निष्पादित, निविदाओं/संविदाओं का विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित करना।
  - ऑनलाइन इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली लागू की गई जहां कर्मचारी कार्यालय स्टेशनरी को ऑनलाइन इनडेंट कर सकते हैं।
  - जीइएम(GeM) पोर्टल के माध्यम से गौण उपकरणों/सामग्री मसलन कार्यालयी लेखन सामग्री और उपभोग की वस्तुएँ, कंप्यूटर परिधीय उपकरणों आदि की खरीद।
  - इन-हाउस ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से वॉल्यूमेट्रिक मूल्यांकन के लिए सहयोगी आपूर्तिकर्ता का पैनल और निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना, जो पहले भौतिक निविदा के माध्यम से किया जाता था।

- **अन्य**
  - एमएसटीसी के सतर्कता प्रशासन में प्रक्रियाओं के सरलीकरण और मानकीकरण के लिए प्रणाली सुधार परिपत्र जारी किया
  - ई-नीलामी के नियमों और शर्तों में सत्यनिष्ठा समझौता खंड को शामिल करना।
  - सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में स्थानीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर के तहत योजना के वित्तपोषण पर अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में सुझाए गए सुधार को लागू किया गया है।
  - आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के संबंध में सुधार का सुझाव दिया गया (i) बकाया देनदारों का अनुसरण;(ii) निधियों/लेखाओं का समामेलन और समयबद्ध तरीके से समायोजन;(iii) अस्थायी अग्रिमों का निपटान और (iv) प्रक्रियों से स्वतंत्र किसी व्यक्ति द्वारा की गई समीक्षा और अनुमोदन का अन्य स्तर बनाए रखते हुए कार्यान्वित किया गया है।
  - चालान (प्रारूप ।।।), चिकित्सा बिल जमा करने एवं प्रतिपूर्ति में आईटी का लाभ उठाने के संबंध में सुझाए गए सुधार को लागू दिया गया है।
  - परिचालन मॉड्यूल के विभिन्न पहलूओं में सुझावित सुधार जैसे बोलीदाताओं का पंजीकरण, बिक्री ऐजेन्सी का नवीनीकरण, ई-नीलामी सूची, ईमडी की रसीद, प्री-बिड ईएमडी की शर्त, अनुमोदन के अधीन बोलियों की वैधता निगरानी करना, लॉट का वर्गीकरण, स्वीकृति पत्र, सुपुर्दगी आदेश आदि को कार्यान्वित किया गया हैं।